

MoU के तहत सेवारत कार्मिकों के लिये (For Serving Personnel) एस.बी.आई. द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) के तहत दी जाने वाली सुविधायें

MoU के तहत भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिनांक 04/02/2025 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को विशेष वेतन पैकेज की सुविधा प्रदान की गयी है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के कार्मिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज के तहत वेतन खातों में निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जा रहा है :-

कार्मिकों के रैंक के आधार पर सी0ए0पी0एस0पी0 का खाता तीन स्तरों अर्थात गोल्ड, डायमंड तथा प्लैटिनम में उपलब्ध है :

गोल्ड वेतन पैकेज खाता	➤ सूबेदार मेजर, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल रैंक के कार्मिकों के लिये।
डायमंड वेतन पैकेज खाता	➤ डिप्टी कमाण्डेन्ट तथा सहायक कमाण्डेन्ट रैंक के अधिकारियों के लिये।
प्लैटिनम वेतन पैकेज खाता	➤ सैकेन्ड-इन-कमाण्ड तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिये।

जीरो बैलेंस बचत खाता	➤ भारतीय स्टेट बैंक के (सी.ए.पी.एस.पी.) खाता में जीरो बैलेंस बचत खाता यानी शून्य अधिशेष खाता की सुविधा प्रदान की जाती है। जीरो बैलेंस बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है।				
निः शुल्क सुविधायें	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक के (सी.ए.पी.एस.पी.) वेतन खाते वाले सभी रैंक के कार्मिकों को मिस्ड कॉल बैंकिंग, मल्टी सिटी चैक, एसएमएस अलर्ट की निःशुल्क सुविधा। ➤ निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट, पास बुक अपडेट और ऑटो-स्वीप की सुविधा अनुरोध पर उपलब्ध है। 				
एटीएम कम डेबिट कार्ड	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड</td> <td>सूबेदार मेजर, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल रैंक के कार्मिकों के लिये।</td> </tr> <tr> <td>अंतर्राष्ट्रीय प्लैटिनम डेबिट कार्ड</td> <td>सहायक कमाण्डेन्ट, डिप्टी कमाण्डेन्ट, सैकेन्ड-इन-कमाण्ड तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिये।</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ➤ यह सुविधा अनुरोध पर निःशुल्क उपलब्ध है। ➤ निशुल्क ए0एम0सी0 (AMC-Annual Maintenance Charges) ➤ संयुक्त खाता धारक के लिये निःशुल्क डेबिट कार्ड की सुविधा। ➤ एस0बी0आई0 के ए0टी0एम0 पर असीमित मुफ्त लेनदेन एवं अन्य बैंकों के ए0टी0एम0 पर प्रतिमाह 10 लेनदेन निशुल्क। 	अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड	सूबेदार मेजर, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल रैंक के कार्मिकों के लिये।	अंतर्राष्ट्रीय प्लैटिनम डेबिट कार्ड	सहायक कमाण्डेन्ट, डिप्टी कमाण्डेन्ट, सैकेन्ड-इन-कमाण्ड तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिये।
अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड	सूबेदार मेजर, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल रैंक के कार्मिकों के लिये।				
अंतर्राष्ट्रीय प्लैटिनम डेबिट कार्ड	सहायक कमाण्डेन्ट, डिप्टी कमाण्डेन्ट, सैकेन्ड-इन-कमाण्ड तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिये।				

मल्टी सिटी चैक	➤ प्रति माह 25 चैक निःशुल्क।
मोड MOD की सुविधा	➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को निःशुल्क ऑटो मोड की सुविधा है। एकाउंट में एक लिमिट से अधिक राशि होने पर अतिरिक्त राशि आपके वेतन खाते से ऑटोमैटिकली ई-मोड डिपोजिट में चली जाती है, जिसमें आपको अधिक ब्याज मिलता है।
बैंक लॉकर	➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को तीन प्रकार अर्थात् गोल्ड, डायमंड तथा प्लैटिनम खातों में वार्षिक बैंक लॉकर किराये में कमशः 10%, 15% & 25% की छूट।
ड्राफ्ट इश्यू चार्ज	➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को ड्राफ्ट इश्यू चार्ज निःशुल्क है।
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को ₹0 01 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर। ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर ₹0 01 करोड़ तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर। ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर ₹0 01 करोड़ रुपये तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर।
ग्रुप टर्म लाईफ इश्योरेंस कवर (यह सुविधा दिनांक 24/02/2025 से लागू होगी)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को एम0ओ0यू0 के बाद दिनांक 24/02/2025 से ₹0 10 लाख का ग्रुप टर्म लाईफ इश्योरेंस कवर। ➤ यह सुविधा दिनांक 24/02/2025 से लागू होगी। ➤ इस कवर के अनुसार सी0ए0पी0एस0पी0 वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को किसी भी प्रकार की मृत्यु पर ₹0 10 लाख का लाईफ इश्योरेंस कवर प्रदान किया गया है।
उपरोक्त बीमा दावा लाभ के अलावा अतिरिक्त कवर (यदि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) दावा स्वीकार्य पाया जाता है)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की लागत की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। (अधिकतम ₹0 10 लाख तक।) (केवल मेडिकल बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of medical bills only) ➤ औषधि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। (अधिकतम ₹0 05 लाख तक।) (केवल दवाई के बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of medicine bills only)

	<p>➤ दुर्घटना के बाद कोमा में मृत्यु (48 घण्टे से अधिक कोमा में रहने के उपरान्त) से पहले इलाज में हुये खर्चे की सुविधा। (अधिकतम रू0 05 लाख तक।)</p> <p>➤ एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपयोग करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। (अधिकतम रू0 10 लाख तक।)</p> <p>(केवल बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of bills only)</p> <p>उच्च शिक्षा (स्नातक) कवर:-</p> <p>➤ एक बच्चे (18-25 वर्ष) के लिये उच्च शिक्षा (स्नातक) कवर की सुविधा। (जिनकी उम्र कार्मिक के मृत्यु के दिन 18 से 25 वर्ष के मध्य हो एवं वह स्नातक (BA, B.Com, B.Sc., BBA, BE etc.) कर रहे हों, के लिये मान्य होगी।) अधिकतम 08 लाख रुपये तक (बालिका के लिये 10 लाख रुपये तक)</p>
	<p>बालिका विवाह कवर (18 से 25 वर्ष):-</p> <p>➤ (मृतक कार्मिक की बालिका को जिनकी उम्र कार्मिक के मृत्यु के दिन 18 से 25 वर्ष के मध्य हो के लिये मान्य होगी। इस सुविधा हेतु केवल बालिका की उम्र 18 से 25 वर्ष होना अनिवार्य है। यह सुविधा भविष्य में बालिका के विवाह हेतु दी जाती है। बालिका के विवाह से संबंधित किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और कार्मिक की उपरोक्त स्थिति में मृत्यु उपरान्त इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।)</p> <p>➤ 02 बालिकाओं के लिये अधिकतम 10 लाख रुपये या 01 बालिका के लिये अधिकतम 05 लाख रुपये तक।</p> <p>परिवारिक परिवहन :-</p> <p>➤ दुर्घटनास्थल तक पहुँचने के लिये परिवार के दो सदस्यों द्वारा की गई यात्रा की लागत हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। अधिकतम रू0 50 हजार तक।</p> <p>(केवल यात्रा बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of journey bills only)</p>

	<p>➤ पार्थिव शरीर को गृहस्थान तक लाने के खर्चे हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। अधिकतम रू0 50 हजार तक।</p> <p>(केवल परिवहन बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of transportation bills only)</p> <p>एम्बुलेंस शुल्क :-</p> <p>➤ घटनास्थल से कार्मिक को अस्पताल तक ले जाने में हुए खर्चे हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा। अधिकतम रू0 50 हजार तक।</p> <p>(केवल परिवहन बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of transportation bills only)</p>
	<p>➤ आतंकवादी/नक्सली/विदेशी शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई में मृत्यु होने पर एस.बी.आई. ऋण खातों के लिये एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण कवर की सुविधा। (यह सुविधा केवल सेवारत कार्मिक जिनकी मृत्यु आतंकवादी/नक्सली /विदेशी शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुई है, के लिये मान्य होगी) अधिकतम रू0 10 लाख तक।</p> <p>(उदाहरण के तौर पर यदि किसी कार्मिक द्वारा एस. बी.आई. बैंक से रू0 12 लाख का एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण लिया है तो इस लाभ के अंतर्गत कार्मिक के उत्तराधिकारी को अधिकतम रू0 10 लाख की छूट प्रदान की जायेगी तथा केवल 02 लाख रुपये कार्मिक के उत्तराधिकारी द्वारा बैंक को एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण भुगतान करना होगा)</p> <p>➤ अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की सुविधा। (यह सुविधा केवल सेवारत कार्मिक जिनकी मृत्यु आतंकवादी/नक्सली /विदेशी शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुई है, के लिये मान्य होगी) अधिकतम रू0 10 लाख तक।</p>
<p>हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर</p>	<p>➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को 1.50 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर।</p> <p>➤ (भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये MOU में निहित शर्तों के अनुसार)</p>

ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को आकर्षक दरों पर व्यक्तिगत ऋण (एक्सप्रेस क्रेडिट), कार ऋण तथा आवास ऋण लेने पर 100% प्रोसेसिंग शुल्क की छूट। ➤ आवास ऋण लेने पर Property search and valuation fee etc. देना होगा ➤ आवेदित ऋण पर निशुल्क प्रोसेसिंग चार्ज दिनांक 30/06/2027 तक मान्य होगा एवं उसके उपरान्त रिन्युअल की दशा में।
आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 चार्ज (RTGS/NEFT Charge)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक के सी.ए.पी.एस.पी. वेतन खाते वाले सभी बैंक के कार्मिकों को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 चार्ज (RTGS/NEFT Charge) निशुल्क है।
<p>पारिवारिक बचत खाते (एस.बी.आई. रिश्ते)</p> <p>[पति-पत्नी (Spouse), बच्चे (Children), माता-पिता (Parents), भाई-बहन (Sibling) के लिये मान्य]</p> <p>इस योजना में अधिकतम 4 खाते खोले जा सकते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शून्य अधिशेष खाता। ➤ निशुल्क डेबिट कार्ड, निशुल्क ए0एम0सी0 (AMC) (Annual Maintenance Charge) ➤ प्रत्येक सदस्य हेतु रू0 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) लाभ (नाबालिग परिजनों को छोड़कर (Except Minors)) ➤ वार्षिक लॉकर किराये पर 10% की छूट। ➤ एस.बी.आई. के एटीएम पर असीमित संख्या में निःशुल्क लेनदेन एवं अन्य बैंकों के एटीएम द्वारा प्रतिमाह 10 निःशुल्क लेनदेन। ➤ निःशुल्क मांग ड्राफ्ट (Demand Draft) जारी करना ➤ ऑटो स्वीप की सुविधा के साथ जमा राशि पर अधिक ब्याज अर्जित करने की सुविधा।
सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (सीएपीएफ) के तहत दुर्घटना के उपरान्त मिलने वाले वित्तीय लाभ हेतु पात्रता की प्राथमिकता	<p>एसबीआई केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (सीएपीएफ) के तहत दुर्घटना के उपरान्त मिलने वाले वित्तीय लाभ हेतु पात्रता की प्राथमिकता निम्न प्रकार से है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ यदि मृतक कार्मिक का एस0बी0आई0 वेतन खाता ज्वाइंट खाता है तो द्वितीय खाता धारक बीमा धनराशि लेने का प्रथम पात्र माना जायेगा। ➤ यदि मृतक कार्मिक का वेतन खाता ज्वाइंट खाता नहीं है तो वेतन खाते में खाता धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति (Nominee) बीमा राशि लेने का पात्र माना जायेगा। ➤ यदि कम सं0 01 तथा 02 में निहित शर्तें पूर्ण नहीं हो रही हैं तो मृतक कार्मिक का कानूनी उत्तराधिकारी (कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) दावा की धनराशि का पात्र होगा। ➤ मृतक कार्मिक के उत्तराधिकार के संबंध में मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन/लंबित है तो न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी है।

वेबसाइट	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित वेबसाइट पर जायें https://bank.sbi/web/salary-account/accident-insurance
SBI PAI (Death) Claim facilitator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>M/s Anand Rathi Insurance Brokers Ltd. (ARIBL)</u> <u>Correspondence Address:</u> Regent Chambers, 10th Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra ➤ <u>Contact Details:</u> Toll Free No.: 1800-123-8733 Kunal Balkrishnan: 09892557521 Email ID: paihelpdesk@rathi.com
SBI CAPSP द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को विशेष बेतन पैकेज (Special Salary Package) की सुविधा संबंधी जानकारी देने हेतु नियुक्त किये गये अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> <u>SPOC-1</u> Name - Mr. Vipul Gurav Mobile No. 7400477578 Rank- Assistant Manager (SBI) Mail ID- vipulgurav@rathi.com <u>SPOC-2</u> Name - Mr. Bhupendra Thanekar Mobile No. 9833784147 Rank- Assistant Vice President (SBI) Mail ID- bhupendrathanekar@rathi.com
<p><u>“PAI Assist Police”</u> मोबाईल एप्लीकेशन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा “PAI Assist Police” नामक एक मोबाईल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से दुर्घटना में शिकार हुये कार्मिकों के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की वस्तु-स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ➤ सभी कार्मिक तथा उनके आश्रित अपने मोबाईल फोन में गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ➤ इस ऐप के सफलतापूर्वक डाउनलोड होने के उपरान्त किसी भी कार्मिक के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने हेतु ID और Password दोनों में कार्मिक का CAPSP वेतन बैंक खाता सं0 इंद्राज करना

होगा। तदोपरान्त कार्मिक के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की वस्तु-स्थिति के बारे में आसानी से पता किया जा सकता है।

नोट:-

सभी कार्मिक जिनका वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, को उपरोक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) की सुविधा तभी प्रदान होगी जब वह अपना एस0बी0आई0 वेतन खाता केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) खाता में बदली करेंगे।

MoU के तहत पेंशनभोगी कार्मिकों के लिये **(For Pensioners)** एस.बी.आई. द्वारा **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP)** के तहत दी जाने वाली सुविधायें।

MoU के तहत भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिनांक **04/02/2025** से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के पेंशनभोगी कार्मिकों को विशेष बेतन पैकेज की सुविधा प्रदान की गयी है।

पेंशनभोगी कार्मिकों को बैंक के आधार पर तीन प्रकार के खाते अर्थात गोल्ड, डायमंड तथा प्लैटिनम उपलब्ध हैं:-

विशेषतायें	गोल्ड पेंशन पैकेज खाता	डायमंड पेंशन पैकेज खाता	प्लैटिनम पेंशन पैकेज खाता
पेंशनभोगी कार्मिकों के लिये (For Pensioners)	सूबेदार मेजर, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल बैंक के कार्मिकों के लिये।	डिप्टी कमाण्डेन्ट तथा सहायक कमाण्डेन्ट बैंक के अधिकारियों के लिये।	सैकेन्ड-इन-कमाण्ड तथा उससे ऊपर के बैंक के अधिकारियों के लिये।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) की विशेषतायें / फायदे			
न्यूनतम बैलेंस	शून्य : कोई मासिक औसत शेष आवश्यक नहीं है। पास बुक अपडेट और ऑटो-स्वीप की सुविधा अनुरोध पर उपलब्ध है।		
एटीएम कम डेबिट कार्ड			
डेबिट कार्ड का प्रकार	अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड		अंतर्राष्ट्रीय प्लैटिनम डेबिट कार्ड
	सुविधा अनुरोध पर निःशुल्क उपलब्ध है।		
	कोई वार्षिक रख-रखाव शुल्क नहीं।		
	संयुक्त खाता धारक के लिये निःशुल्क ऐड-ऑन डेबिट कार्ड।		
	एस0बी0आई0 के ए0टी0एम0 पर असीमित मुफ्त लेनदेन एवं अन्य बैंकों के ए0टी0एम0 पर प्रतिमाह 10 लेनदेन निःशुल्क।		
मल्टी सिटी चैक	प्रति माह 25 चैक निःशुल्क।		
वार्षिक लॉकर किराये में रियायत	गोल्ड पेंशन पैकेज खाता	डायमंड पेंशन पैकेज खाता	प्लैटिनम पेंशन पैकेज खाता
	लागू दर का 10%	लागू दर का 15%	लागू दर का 25%
एस0बी0आई के भीतर स्थायी अनुदेशों की स्थापना का शुल्क	निःशुल्क।		
आर.टी. जी.एस./एन.ई. एफ.टी. शुल्क	असीमित एवं निःशुल्क।		
ड्राफ्ट जारी करने का शुल्क	कोई शुल्क नहीं। (मुफ्त ड्राफ्ट की संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं) (यदि वेतन पैकेज खाते के माध्यम से जारी किया गया हो)		

पेंशनभोगीयों के लिये मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर।	
पेंशनभोगीयों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर	रु0 50 लाख
<p>उपरोक्त बीमा दावा लाभ के अलावा अतिरिक्त कवर</p> <p>(यदि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) दावा स्वीकार्य पाया जाता है)</p> <p>अतिरिक्त बीमा कवर केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में लागू होता है।</p>	
<p>➤ जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की लागत की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल मेडिकल बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of medical bills only)</p>	(अधिकतम रु0 10 लाख तक)
<p>➤ औषधि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल दवाई के बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of medicine bills only)</p>	(अधिकतम रु0 05 लाख तक)
<p>➤ दुर्घटना के बाद कोमा में मृत्यु (48 घण्टे से अधिक कोमा में रहने के उपरान्त) से पहले इलाज में हुये खर्च की सुविधा।</p>	(अधिकतम रु0 05 लाख तक)
<p>➤ एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपयोग करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of bills only)</p>	(अधिकतम रु0 10 लाख तक)

<p>उच्च शिक्षा (स्नातक) कवर :-</p> <p>➤ एक बच्चे (18-25 वर्ष) के लिये उच्च शिक्षा (स्नातक) कवर की सुविधा। (जिनकी उम्र कार्मिक के मृत्यु के दिन 18 से 25 वर्ष के मध्य हो एवं वह स्नातक (BA BCom, BSc, BBA, BE etc.) कर रहे हों के लिये मान्य होगी)</p>	<p>(मात्र 1 बच्चे हेतु अधिकतम 05 लाख रुपये तक)</p>
<p>बालिका विवाह कवर (18 से 25 वर्ष) :-</p> <p>(मृतक पेंशनभोगी कार्मिक के बालिका को जिनकी उम्र कार्मिक के मृत्यु के दिन 18 से 25 वर्ष के मध्य हो के लिये मान्य होगी। इस सुविधा हेतु केवल बालिका की उम्र 18 से 25 वर्ष होना अनिवार्य है। यह सुविधा भविष्य में बालिका के विवाह हेतु दी जाती है। बालिका के विवाह से संबंधित किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और कार्मिक की उपरोक्त स्थिति में मृत्यु उपरान्त इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है)</p>	<p>(मात्र 1 बालिका के लिये अधिकतम 05 लाख रुपये तक)</p>
<p>परिवारिक परिवहन :-</p> <p>➤ दुर्घटनास्थल तक पहुँचने के लिये परिवार के दो सदस्यों द्वारा की गई यात्रा की लागत हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल यात्रा बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।)</p> <p>(After production of journey bills only)</p>	<p>(अधिकतम रू0 50 हजार तक)</p>

<p>➤ पार्थिव शरीर को गृहस्थान तक लाने के खर्च हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल परिवहन बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of transportation bills only)</p>	<p>(अधिकतम रू0 50 हजार तक)</p>
<p>एम्बुलेंस शुल्क :-</p> <p>➤ घटनास्थल से पेंशनभोगी कार्मिक को अस्पताल तक ले जाने में हुए खर्च हेतु प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधा।</p> <p>(केवल परिवहन बिल के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।) (After production of transportation bills only)</p>	<p>(अधिकतम रू0 50 हजार तक)</p>
<p>के0रि0पु0बल के पेंशनधारकों द्वारा आवेदित ऋण पर निशुल्क प्रोसेसिंग चार्ज (दिनांक 30/06/2027 तक मान्य एवं उसके उपरान्त रिन्युअल की दशा में)</p>	
<p>➤ गृह-ऋण (Home Loan)</p>	<p>प्रोसेसिंग चार्ज 100 प्रतिशत निशुल्क (Property search and valuation fee etc. will be payable)</p>
<p>➤ कार ऋण (Car Loan)</p>	<p>प्रोसेसिंग चार्ज 100 प्रतिशत निशुल्क</p>
<p>➤ पेंशन ऋण (Pension Loan)</p>	<p>प्रोसेसिंग चार्ज 100 प्रतिशत निशुल्क</p>
<p>सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (सीएपीएफ) के तहत दुर्घटना के उपरान्त मिलने वाले वित्तीय लाभ हेतु पात्रता की प्राथमिकता</p>	<p>एसबीआई केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (सीएपीएफ) के तहत दुर्घटना के उपरान्त मिलने वाले वित्तीय लाभ हेतु पात्रता की प्राथमिकता निम्न प्रकार से है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ यदि मृतक पेंशनभोगी कार्मिक का एस0बी0आई0 पेंशन खाता ज्वाइंट खाता है तो द्वितीय खाता धारक बीमा धनराशि लेने का प्रथम पात्र माना जायेगा। ➤ यदि मृतक पेंशनभोगी कार्मिक का पेंशन खाता ज्वाइंट खाता नहीं है तो पेंशन खाते में खाता धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति (Nominee) बीमा राशि लेने का पात्र माना जायेगा।

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ यदि कम सं0 01 तथा 02 में निहित शर्तें पूर्ण नहीं हो रही हैं तो पेंशनभोगी मृतक कार्मिक का कानूनी उत्तराधिकारी (कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) दावा की धनराशि का पात्र होगा। ➤ मृतक पेंशनभोगी कार्मिक के उत्तराधिकार के संबंध में मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन/लंबित है तो न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी है।
वेबसाइट	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित वेबसाइट पर जायें https://bank.sbi/web/salary-account/accident-insurance
SBI PAI (Death) Claim facilitator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>M/s Anand Rathi Insurance Brokers Ltd. (ARIBL)</u> <u>Correspondence Address:</u> Regent Chambers, 10th Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra ➤ <u>Contact Details:</u> Toll Free No.: 1800-123-8733 Kunal Balkrishnan: 09892557521 Email ID: paihelpdesk@rathi.com
SBI CAPSP द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को विशेष बेतन पैकेज की सुविधा संबंधी जानकारी देने हेतु नियुक्त किये गये अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>SPOC-1</u> Name - Mr. Vipul Gurav Mobile No. 7400477578 Rank- Assistant Manager (SBI) Mail ID- vipulgurav@rathi.com 2. <u>SPOC-2</u> Name - Mr. Bhupendra Thanekar Mobile No. 9833784147 Rank- Assistant Vice President (SBI) Mail ID- bhupendrathanekar@rathi.com
<u>“PAI Assist Police”</u> मोबाईल एप्लीकेशन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा “PAI Assist Police” नामक एक मोबाईल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से दुर्घटना में शिकार हुये कार्मिकों के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की वस्तु-स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



- सभी पेंशनभोगी कार्मिक तथा उनके आश्रित अपने मोबाईल फोन में गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस ऐप के सफलतापूर्वक डाउनलोड होने के उपरान्त किसी भी पेंशनभोगी कार्मिक के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने हेतु ID और Password दोनों में कार्मिक का CAPSP पेंशन बैंक खाता सं० इंद्राज करना होगा। तदोपरान्त पेंशनभोगी कार्मिक के दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित मामलों की वस्तु-स्थिति के बारे में आसानी से पता किया जा सकता है।

नोट:-

सभी पेंशनभोगी कार्मिक जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, को उपरोक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) की सुविधा तभी प्रदान होगी जब वह अपना एस०बी०आई० पेंशन खाता केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) खाता में बदली करेंगे।

MoU के तहत पेंशनभोगी परिवारजन के लिये एस.बी.आई. द्वारा शौर्य पारिवारिक पेंशन खाताधारक को दी जाने वाली सुविधायें। (For Family Pensioners)

MoU के तहत भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिनांक 04/02/2025 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों (सी.आर.पी.एफ.) के पेंशनभोगी परिवारजन को विशेष बेटन पैकेज की निम्नलिखित सुविधा प्रदान की गयी है:-

विशेषतायें	विवरण
पात्रता	सी.आर.पी.एफ. के पेंशनभोगी परिवारजन के लिये।
(CAPSP) Account की विशेषतायें / फायदे	
न्यूनतम बैलेंस	शून्य (कोई मासिक औसत शेष आवश्यक नहीं है)
ए.टी.एम. सह डेबिट कार्ड	
डेबिट कार्ड का प्रकार	गोल्ड डेबिट कार्ड
	मॉग पर निःशुल्क जारी होगा।
	कोई वार्षिक रख-रखाव शुल्क नहीं।
	संयुक्त खाता धारक के लिये निःशुल्क डेबिट कार्ड।
	एस.बी.आई. के ए.टी.एम. में असीमित मुफ्त लेनदेन एवं अन्य बैंकों के ए.टी.एम. पर प्रतिमाह केवल 10 लेनदेन निःशुल्क।
मल्टी सिटी चैक	प्रति माह 25 चैक निःशुल्क।
वार्षिक लॉकर किराये में रियायत।	लागू दर का 10%
एस.बी.आई. के भीतर स्थायी अनुदेश की स्थापना शुल्क	कोई शुल्क नहीं।
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. शुल्क	असीमित एवं निःशुल्क
ड्राफ्ट जारी करने का शुल्क	कोई शुल्क नहीं। (शौर्य पारिवारिक पेंशन खाते के माध्यम से जारी किये गये निःशुल्क ड्राफ्टों की संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं)
पेंशन ऋण प्रोसेसिंग शुल्क	पेंशन ऋण के लिये 100 प्रतिशत की प्रोसेसिंग शुल्क में छूट (30/06/2027 तक वैध, उसके बाद नवीनीकरण के अधीन)
नोट:-	
सभी पेंशनभोगी परिवारजन जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, को उपरोक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) की सुविधा तभी प्रदान होगी जब वह अपना एस0बी0आई0 पेंशन खाता केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) खाता में बदली करेंगे।	